पुस्तकालय

82
27/3/2001

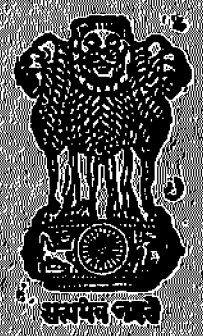

असंशोधित

25 MAR 2001

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग–२-कार्यवाही–प्रश्नोत्तर रहित)

बि० स० मु० (एन० ए०) 99/2—10,000—4-9-1998—

श्री अशोक कुमार सिंह(मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब विजय दिवस मनाया जायेगा तो उसमें सभी माननीय विधायकों को वहां पर सादर आमंत्रित किया जायेगा ।

सर्वश्री नरेन्द्र सिंह, डी०के०शर्मा एवं अन्य पांच सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (सहायता एवं पुनर्वास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, विगत वर्ष 2000 के सितम्बर में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ से जमुई, बांका, भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा आदि जिले के लोग भयंकर रूप से प्रभावित हुए हैं । उक्त जिलों की सभी मुख्य सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें, पुल-पुलिया, खड़गपुर डैम सभी तटबंध एवं अन्य डैम सहित सिंचाई की बड़ी-छोटी योजनाएं तथा सभी आहर-पोखर टूटकर बह गए और हजारों मकान ध्वस्त हो गए । आज भी लाखों लोग बेघर होकर किसी प्रकार जीवन व्यतित कर रहे हैं । खासकर जमुई जिला के गढ़र, मुखैला, प्रतापपुर, टंटलखनपुर, मेघवरी, चुरहेत जैसे सैकड़ों गांवों के कुल 14000 घर ध्वस्त हुए हैं । मटिथाना-सरघोडीह पथ में बना पुल टूट गया लोगों को यातायात में भारी कठिनाई हो रही है । जिले के आहर-पोखर सड़क की मरम्मति नहीं कराये जाने से घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

अत: बेघर लोगों को आवास मुहैया कराने तथा सभी क्षतिग्रस्त डैम, तटबंध, नहर, आहर, पोखरों, पुल, पुलियों, सड़कों आदि की मरम्मति एवं निर्माण शीघ्र कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री राम विचार राय(मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विगत वर्ष 2000 में हुयी अतिवृष्टि एवं बाढ़ से सम्पूर्ण बिहार प्रभावित हुआ और धन-जन की व्यापक क्षति हुई ।

यह सही है कि जमुई, बांका, भागलपुर, लखीसराय, एवं मुंगेर जिलों में भी धन-जन एवं आधारभूत संरचनाओं की क्षति हुई है । इन जिलों में कुल 30.76 लाख जनसंख्या प्रभावित हुआ है । साथ ही आधारभूत संरचनाएं यथा सड़कें, पुल, पुलिया, डैम, आहर, पोखर एवं मकान की भी क्षति हुई है ।

जहां तक क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं की मरम्मति कार्य का प्रश्न है

यह विभिन्न विभागों यथा डैम, तटबंध, नहर - जल संसाधन विभाग/लघु सिंचाई विभाग, आहर, पोखर- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पुल-पुलिया, सड़कों-पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण संगठन विभाग एवं क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत ग्रामीण विकास विभाग से संबंध रखता है । बाढ़ पीड़ितों को इन्दिरा आवास प्राथमिकता के आधार पर देने हेतु ग्रामीण विकास द्वारा कार्रवाई की जाती है ।

ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राकृतिक आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं का पूर्णोद्धार कार्य संबंधित विभागों को अपने बजट की राशि से करवाना है । आपदा राहत कोष की राशि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए व्यय की पूर्त्ति हेतु ही किया जाना है ।

श्री नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विभिन्न विभागों पर इसकी जिम्मेवारी सौंप दिया है । मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो क्षति हुई है, उसका समेकित जवाब एक जगह देना चाहिए तो यह जवाब कौन देगा ?

अध्यक्ष : इसमें आपका प्रश्न तो ठीक ही है । इतनी बड़ी जो आपदा हुई थी और बिहार सरकार ने एक प्रतिवेदन बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा है । केन्द्र सरकार को जो प्रतिवेदन भेजा है, उसमें विभिन्न विभागों में कितनी हानियां हुई थी, इसकी चर्चा की गई है और राशि की मांग की गई है ।

श्री राम विचार राय (मंत्री) : विभिन्न विभागों का ब्यौरा केन्द्र सरकार को भेजा है, 15 अरब 46 करोड़ 22 लाख रु० का आकलन करके केन्द्र सरकार को दिनांक 8-2-2001 को भेजा गया है ।

अध्यक्ष : विभिन्न विभागों पर बृहत प्रतिवेदन बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा गया है और राशि की मांग की गई है ।

श्री नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने क्या दिया और क्या नहीं दिया, वह जिम्मेवारी राज्य सरकार की है । राज्य सरकार भारत सरकार से पैसा मांगती है । पूरा ब्यौरा भारत सरकार को भेजा गया है, इसकी जानकारी हमको नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर यह जो क्षति हुई है पिछले दिनों और ... वर्षों से जो घर गिरे हैं गरीबों का, मकान गिरे हैं । जमींदारी आहर-पोखर था, पईन था, पुल-पुलिया था, उसके लिए राज्य सरकार का सहायता एवं पुनर्वास विभाग कोई राशि दी ? अगर कोई राशि नहीं दी गई है तो गरीबों के मकान बनवाने की दिशा में सरकार क्या सोचती है ?

अध्यक्ष : राहत दें या न दे लेकिन इतनी बड़ी हानि हुई है तो विभाग को इस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए ।

श्री राम विचार राय(मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मकान के बारे में ....

अध्यक्ष : मकान के बारे में आपने निर्देशित किया है ग्रामीण विकास विभाग को ।

श्री राम विचार राय(मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इंदिरा आवास के बारे में अतिरिक्त इंदिरा आवास दिया जाय, जिससे की जहां मकान गिरे हैं, वहां पर उनका मकान बनवाया जाय । ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से भारत सरकार को बहुत पहले लिखा गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र बाबू, आप जिस स्वरूप में प्रश्न पूछना चाहते हैं और आप जो बहुत जानकारी लेना चाहते हैं, वह संभव नहीं है । हम इस मामले को अपने स्तर पर वरीय पदाधिकारियों को बुलाकर और कैसे यह हो सकता है, इस दिशा में हम पहल करेंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह : हमें मंजूर है ।

श्री अश्विनी कुमार चौबे : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है । माननीय मंत्री जी बहुत चालाकी से कह दिये । अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जो नियमन दिया है, वह ठीक है । लेकिन इसमें एक अनुरोध है कि इसमें जो सिंगनेचरी हैं, उनको भी उस बैठक में बुला लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री रविन्द्र चरण यादव (मंत्री) :- मेरी व्यवस्था है । व्यवस्था यह है कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो भारत सरकार आन्ध्रप्रदेश में, या असम में, या उड़ीसा में तो काफी मात्रा में राहत देते हैं लेकिन बिहार के साथ ऐसा क्यों होता है । बिहार के सभी राजनीतिक दलों के लोग भारत सरकार में हैं, संसद में हैं, मंत्री हैं एक संयुक्त संसदीय मंडल भेजकर दबाव डाले की बिहार को भी प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक आपदा में राहत मिले ।

अध्यक्ष :- आपका कहना ठीक है ।

श्री अश्विनी कुमार चौबे :- महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि ८-२-२००१को १५ अरब रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था, अभी माननीय मंत्री श्री रविन्द्र चरण यादव जी ने केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालने की बात कही : महोदय, कई केन्द्रीय कृषि मंत्री ,श्री नीतिश कुमार ने बिहार सरकार को लिखित रुप से दिया है तो क्या कारण है कि ५ महीने बाद विलम्ब से क्षति प्रतिवेदन भेजा गया है ।

अध्यक्ष :- इससे निदान नहीं होगा ।

श्री अश्विनी कुमार चौबे :- क्या मतलब है ५ महीने विलम्ब से भेजने का ?

श्री रामविचार राय(मंत्री) :- मैं यह बतला देता हूं ।

अध्यक्ष :- बिना मतलब की बात कर रहे हैं । देखिये बात क्या हुआ है, हम दोनों बातों को जान रहे हैं । मैंने बिहार सरकार के पदाधिकारी से भी बात की है और दिल्ली यात्रा के क्रम में हमारी नितीश जी से भी बातें हुई थी । इसलिए हमने रास्ता निका कि हम इसे देखेंगे ।

श्री अश्वनी कुमार चौबे :- दूसरा प्रश्न मेरा है ।

अध्यक्ष :- क्या पूछियेगा, इससे तो निदान नहीं होगा । इसके निदान की जरुरत है ।

श्री अश्वनी कुमार चौबे :- लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, आप निदान की बात बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष :- इस तरह से बोलने से निदान हो जायेगा ?

श्री अश्वनी कुमार चौबे :- लोग आकाश के नीचे रहे हैं, आपका संरक्षण चाहिए ।

अध्यक्ष :- आपको इससे ज्यादा क्या संरक्षण दे सकते हैं ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री अश्वनी कुमार चौबे सदन के बेल में आकर बैठ गये)

अध्यक्ष :- माननीय सदस्य चौबे जी, आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो हम इसका निदान निकालेंगे ।

श्री रामचन्द्र पूर्वे (मंत्री) :- महोदय, आपका नियमन हो गया तो - -

अध्यक्ष :- इसपर कोई कम्प्रमाईज नहीं होगा । आप अपनी जगह पर जाकर बैठिये ।

श्री रामचन्द्र पूर्वे(मंत्री) :- महोदय, यह काम गलत हो रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य चौबे जी आप अपनी सीट पर जांय । हम तो स्वयं भुक्तभोगी हैं । हम तिथि की घोषणा अपनी सुविधानुसार करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य चौबे जी आपसे भी गलती हुई है, इसके बारे में आपने कभी कहा नहीं और हम भी पिजी रहे हैं । अब आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाईये । हम एक सप्ताह के अंदर बैठक करेंगें । आप तो शहर के हैं मैं तो खुद भुक्तभोगी हैं ।

(इस अवसर पर मा० सदस्य अश्विनी कुमार चौबे जी अपनी सीट पर गए)

श्री छेदी लाल राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौबे जी से आग्रह करता हूँ कि इधर चौबे जी के अंदर नयी चीज पैदा हुई है गरीबों के प्रति और समाज में गरीब लोगों को घर देने के बारे में सोचते हैं मैं आपके माध्यम से इनसे आग्रह करूगा कि जिस दलित महिला का घर रखे हुए हैं उसको तो छोड़ दें ।

अध्यक्ष: बैठिये । अब माननीय सदस्य श्री भोला प्रसाद सिंह जी के ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य होगा । सूचना पढ़ी जा चुकी है ।